



(UNIT OF AIREC)

ऑल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

Reg. No. NDD/09 New Delhi



AISMA for Master's & Master's for Nation

जोनल अध्यक्ष
शिवजी प्रसाद
9993328117

कार्यकारी अध्यक्ष
रामेश्वर सिंह
7999938698

जोनल कोषाध्यक्ष
डी. के. जैन
9425662576

जोनल महासचिव
हेमराज मीना
9413185616
hemrajmeena001974@gmail.com

पत्र क्र. AISMA

WCR/JBP/10/01/2022

दिनांक : 10/01/2022

सेवा में,

श्रीमान् महाप्रबन्धक महोदय
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

विषय : स्टेशन मास्टर कैंडर की कार्य की अधिकता से जुड़ी समस्याओं के क्रम में ।

मान्यवर जी,

ऑल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन पश्चिम मध्य रेलवे के सभी स्टेशन मास्टर्स हमारे जोन के मुखिया के समक्ष, स्टेशन मास्टर कैंडर पर बढ़ते कार्य के बोझ व जिम्मेदारियों के कारण, स्टेशन मास्टर्स को अपनी ड्यूटी में कई कठिनाईया व समस्या आ रही है इसलिए हमारा निवेदन है कि निम्न समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाये -

1. व्यस्तम स्टेशनों (थर्ड लाइन) के स्टेशनों के पेनल पर एडिशनल स्टेशन मास्टर नियुक्ति करने के क्रम में -
2. (दोहरी लाइन) मैन लाइन में (Intensive) 'I' रोस्टर के लिये रिप्रेजेन्टेटिव मेथर्ड से जॉब एनालाइसेस हैड क्वार्टर पत्र संख्या प.म.रे. जबलपुर/टी935 कार्य विश्लेषण दिनांक 30.12.2019 के अनुसार करवाया जाये -
3. महत्वपूर्ण स्टेशनों पर S.S पोस्ट सुपरवाइजरी करने के क्रम में :-
4. स्टेशन मास्टर्स से लगातार 7 नाइट ड्यूटी लेना बन्द करके 2 नाइट रोस्टर के लिये मुख्यालय के पत्र अनुसार प.म.रे. पत्र संख्या जबलपुर/टी-706 दिनांक 27.10.2021 के अनुसार ट्राईल करके लागू किया जाये :-
5. स्टेशन मास्टर्स से EI रोस्टर 12 घण्टे ड्यूटी लेना बन्द किया जाये ।
6. ग्रेड पे 4600 व एल-7 के स्टेशन अधीक्षकों व यातायात निरीक्षकों को हायर ट्रान्सपोर्टेशन की ट्रेनिंग दी जाये :-
7. आरआरआई और एसएसआई केबिनो पर ए.सी. लगाने के क्रम में
8. नोडल स्टेशन (बड़े स्टेशन) पर रेलवे आवास बनाने के क्रम में :-
9. रोड़ साइड स्टेशनों पर रेस्ट रुम बनाने के क्रम में :-
10. सामान्य एवं सहायक नियम संशोधन 12 एवं 13 लेवल क्रासिंग गेट के सम्बन्ध में कार्यप्रणाली को लागू किया जाये । जिससे लेवल क्रासिंग पर हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके ।

11. यातायात निरीक्षक मूवमेन्ट इंस्पेक्टर (हैड क्वार्टर) एवं सभी सुपरवाइजरों को यूनीफोर्म एलाउन्स दिया जाये ।
12. भोपाल डिवीजन 7वें पे कमीशन ओ.टी. एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाये । जबकि कोटा एवं जबलपुर मण्डल में इसका भुगतान एक वर्ष पूर्व ही हो चुका है ।
13. स्टेशन मास्टर्स की रिक्तियों को रैंकर क्वोटा एवं ग्रेजुएशन क्वोटा के अन्तर्गत शीघ्र भरा जाये जिससे स्टेशन मास्टर्स को रेस्ट एवं छुट्टी में हो रही परेशानी से निजात मिल सके ।

1. व्यस्तम स्टेशनों (थर्ड लाइन) के स्टेशनों के पेनल पर एडिशनल स्टेशन मास्टर की नियुक्ति करने के क्रम में –

संदर्भ :-

- 1) रेलवे बोर्ड पत्र 2002/Sig/P1/1 dt 09-07-2002 (संलग्न)
- 2) रेलवे बोर्ड पत्र 2002/Sig/P1/1 dt 14-03-2007 (संलग्न)
- 3) 2008/C&IS/New PRS Policy/15 dt 05-06-2012 (संलग्न)
- 4) 2004/Safety1/28/1 Safety Director dt 16-04-2009 (संलग्न)
- 5) 2017/CE-IV/LX/100 (Committee) dt 29-05-2018 (संलग्न)

स्टेशन मास्टर पर कार्य की अधिकता को देखते हुए रेलवे बोर्ड कई बार पैनल पर अतिरिक्त स्टेशन मास्टर की नियुक्ति के आदेश दिये और व्यस्तम स्टेशनों पर बुकिंग क्लर्क व टी.एन.सी. के जगह एस.एम. की नियुक्ति के दिशा-निर्देश दिये क्योंकि बुकिंग क्लर्क व टी.एन.सी. स्टेशन मास्टर का कार्य नहीं कर सकते जबकि एस.एम. बुकिंग व टीएनसी के कार्यों के साथ-साथ स्टेशन मास्टर की सहायता भी कर सकता है इसलिये ऐसे स्टेशनों पर जहाँ सामान्य रेल संचालन के अतिरिक्त गुड्स साईडिंग, कॉशन नोटिस स्टेशन और पैसंजरों का आवागमन अधिक है और गाड़ियों का ठहराव भी अधिक है । इस कारण से स्टेशन मास्टर बहुत व्यस्त रहता है । इसलिए व्यस्तम व थर्डलाइन के सभी स्टेशनों के पैनल पर इनडोर व आउटडोर स्टेशन मास्टर्स की नियुक्ति की जाये ।

कोटा मण्डल : में रामगंजमण्डी जंक्शन, गुड़ला जं. एवं बयाना जं. पर एडिशनल स्टेशन मास्टर की पेनल पर नियुक्ति शीघ्र की जाये क्यों कि तीनों

स्टेशन कोटा मण्डल के बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन है जहाँ पर मेन लाइन की गाड़ियों के संचालन के साथ-साथ गुड्स गाड़ियों की शटिंग व ड्राइवर व गार्ड को चेंज करवाना साथ ही यह काशन नोटिस स्टेशन भी है जिससे आर्जनेटिंग ट्रेनों को काशन आर्डर देना पड़ता है । इस अतिरिक्त कार्य के कारण स्टेशन मास्टर ड्यूटी के दौरान बहुत व्यस्त रहता और कार्य में गलती की सम्भावना बनी रहती है –

भोपाल मण्डल :- बीना से भोपाल थर्ड लाइन सेक्शन में प्रत्येक पारी में पैनल पर 2 स्टेशन मास्टर (आउटडोर व इनडोर) SWR के अनुसार नियुक्त किया जाये एवं हरदा, विदिशा, होशंगाबाद, महादेव खेड़ी व बरखेड़ा जैसे बड़े स्टेशनों पर एडिशनल एसएम नियुक्त किया जाये ।

जबलपुर मण्डल : मैहर, झुकेही, दमोह, भिटौनी, सतना, ब्यौहारी सभी स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों द्वारा ट्रेन संचालन के साथ साथ साइडिंग में गुड्स प्लेसमेंट, लोडिंग व अनलोडिंग के कार्य के अलावा यात्रियों की सुख-सुविधाओं का कार्य भी देखना पड़ता है और सभी स्टेशन काशन नोटिस स्टेशन है । जहाँ पर आर्जनेटिंग ट्रेनों को काशन आर्डर दिया जाता है । मंडवासग्राम व बरगंवा स्टेशनों पर पीआरएस का काम भी स्टेशन मास्टर पर डाल दिया गया है इसलिये नई पीआरएस पॉलिसी के अनुसार वहाँ पर अतिरिक्त स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की जाये ।

(पत्र संख्या 2008/C&IS/New PRS Policy/15 dt 05-06-2012 संलग्न)

2. (दोहरी लाइन) मैन लाइन में (Intensive) 'I' रोस्टर के लिये (रिप्रेजेन्टेटिव जॉब एनालाइसेस द्वारा) साप्ताहिक विश्राम (RBE67/2016) के साथ लागू किया जाये –

दोहरी लाइन सेक्शन में ट्रेन संचालन ही इतना अधिक हो गया है कि प्रत्येक 5-10 मिनट के बीच एक गाड़ी पास होती है और ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के (एक्टीव आवर्स) बढ़ गये हैं, क्योंकि अधिकांश स्टेशनों पर IBS वर्किंग कर दी गई है इस

कारण से एक स्टेशन मास्टर द्वारा **IBS** के रूप में दो '**C**' Class स्टेशनों का भी संचालन करता है साथ ही यात्री पूछताछ, **UTS** पर टिकट देना, सिंगनलींग उपकरणों का डिस्कनेक्शन देना व रिकनेक्शन लेना, इन्जिनियरिंग ब्लॉक और स्टेशन के संरक्षा रिकार्ड को भी मेन्टेन करना होता है । इस कार्य की अधिकता को देखते हुये दोहरी लाइन के स्टेशनों पर (इनटेन्सिव) रोस्टर, साप्ताहिक विश्राम (**RBE – 67/2016** संलग्न) के अनुसार लागू किया जाये –

कोटा मण्डल :- इस कार्य की अधिकता को देखते हुये कोटा-सवाईमाधोपुर सैक्शन में केशोराय पाटन स्टेशन को एवं कोटा-नागदा खण्ड में मोड़क को रिप्रजेन्टेटीव स्टेशन मानते हुये पूरे खण्ड में '**I**' रोस्टर लागू किया जाये । जबकि दोनों स्टेशनों केशोरायपाटन व मोड़क में '**I**' रोस्टर लगभग 2 वर्ष से लागू है, रेलवे बोर्ड **RBE67/2016** के अनुसार '**I**' रोस्टर में साप्ताहिक विश्राम देना लागू किया जाये –

सवाई माधोपुर – बयाना खण्ड में निमोदा व हिण्डोन सिटी स्टेशनों को प्रतिनिधि (रिप्रेन्जेटेटीव) स्टेशन मानते हुये वर्क स्टेडी किया जाये और पूरे खण्ड में '**I**' रोस्टर लागू करवाने की कृपा करें ।

भोपाल मण्डल :- भोपाल से इटारसी खण्ड में जॉब एनलाएसिस करवाकर आई रोस्टर विश्राम के साथ लागू किया जाये ।

जबलपुर मण्डल :- जबलपुर से इटारसी खण्ड के स्टेशनों पर जॉब एनलाएसिस करवाकर आई रोस्टर विश्राम के साथ लागू किया जाये ।

3. महत्वपूर्ण स्टेशनों पर S.S पोस्ट सुपरवाइजरी करने के क्रम में :- हमारे जोन में महत्वपूर्ण स्टेशनों की एसएस पोस्ट सुपरवाइजरी होनी इसके लिये स्पष्ट नीति होनी चाहिए जैसे जिला मुख्यालय, ऐसे स्टेशन जो यात्री आवागामन की दृष्टि से 'बी' श्रेणी में आते है और ऐसे स्टेशन जहाँ पर गुड्स लोडिंग अनलोडिंग साइडिंग रहती है । क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एस.एस. ड्यूटी रोस्टर में 8

घंटे या 12 घंटे रोजाना रोस्टर ड्यूटी करके सुपरवाइजरी से जुड़े अन्य कार्य जैसे -स्टेशन रजिस्ट्रों को अपडेट करना, स्टॉफ मैनेजमेंट, अधीनस्थ स्टाफ के पास पी.टी.ओ., पे-स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, TI, CMI, TIA, PI, व CHI को रेगूलर निरीक्षण करवाने तथा निरीक्षण के दौरान पायी गयी त्रुटियों को दूर करना। स्टेशनों पर यात्री सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना व सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन को साफ व स्वच्छ रखना होना है। इस अतिरिक्त कार्य के बोझ के कारण वर्तमान समय में इन बड़े स्टेशनों पर कोई भी एस.एस. के रूप में कार्य नहीं करना चाहता। इसलिए हमारा आग्रह है कि उक्त स्टेशनों पर एस.एस. पोस्ट सुपरवाइजरी की जाये। जैसे इंजीनियरींग विभाग में एक गैंग पर एक जमादार सुपरवाइजर उसके उपर ए.पी. डब्ल्यू.आई. सुपरवाइजर, फिर पी.डब्ल्यू.आई. व फिर सी.पी.डब्ल्यू.आई होता है। पर्सनल विभाग में 4 से 5 क्लर्क के ऊपर एक ओ.एस. होता है। लेकिन ऑपरेटिंग में एक स्टेशन अधीक्षक जो संरक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण रेल संचालन का कार्य करता है उसके साथ-साथ अधीनस्थ डिप्टी.एस.एस., पोइन्टस मैन, कामर्शियल क्लर्क, टी.एन.सी.के कार्य को भी सुपरवाइज करना है जोकि ड्यूटी रोस्टर में करना सम्भव नहीं है इसलिए इन बड़े स्टेशनों की एस.एस. पोस्ट सुपरवाइजरी की जाये

कोटा मण्डल :- भवानीमण्डी, बॉरा, भौरा, गुड़ला जं., लाखेरी, हिण्डोन, बून्दी व सालपुरा स्टेशन एसएस पोस्ट सुपरवाइजरी की -

भोपाल मण्डल :- तलवड़िया, छनेरा, खिरकिया, टिमरनी, बनापुरा, मडीदीप, आबेदुलागंज, सलामतपुर, सांची, गुलाबगंज, बरेठ, मंडी, बामोरा, महादेवखेड़ी, मुगावली, अशोक नगर, रुठियाई, यावरा राजगढ़, शाजापुर, शिवपुरी, उपरोक्त स्टेशनों पर सुपरवाइजरी एसएस नियुक्त किया जाये -

जबलपुर मण्डल :- खन्नाबंजारी, जैतवार व खुरई व बनखेड़ी स्टेशनों पर एसएस पोस्ट सुपरवाइजरी की जाये ।

सिहोरा, मदनमहल, भदनपुर व भिटोनी में एसएस सुपरवाइजर को वर्किंग कराया जा रहा जो बंद किया जाये ।

4. स्टेशन मास्टरों से लगातार 7 लाईट ड्यूटी लेना बन्द किया जाये:
संदर्भ रेलवे बोर्ड पत्र :-

1) 2011/E(LL)HER/21 dt 01-03-2012 (संलग्न)

2) 2010/TT-1/65/10 dt 06-02-2013 (संलग्न)

रेल संरक्षा और स्टेशन मास्टरों के स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह में दो रात्रि ड्यूटी रोस्टर लागू करने की कृपा करें और इसे लागू करने में अतिरिक्त कैंडर की भी आवश्यकता नहीं है, CRS द्वारा भी कई दुर्घटनाओं की जाँच के बाद यह सिफारिश की गई की रेल संचालन से जुड़ी केटेगरियों की लगातार रात्रि ड्यूटी कम करनी चाहिए, इसलिए 2 रात्रि ड्यूटी रोस्टर लागू करने की कृपा करें ।

स्टेशन मास्टरों से लगातार 7 नाईट ड्यूटी लेना रेल संरक्षा व स्टेशन मास्टरों के स्वास्थ्य के लिये ठीक नहीं है इसलिए हमारा निवेदन है कि लगातार 7 नाईट ड्यूटी लेना बन्द करे और सप्ताह में 2 नाईट ड्यूटी रोस्टर पूरे जोन में रेल संरक्षा की दृष्टि को देखते हुये 2 नाईट ड्यूटी रोस्टर लागू करवाये ।

5. स्टेशन मास्टरों से EI रोस्टर 12 घण्टे लेना बन्द किया जाये :- स्टेशन मास्टर संरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण केटेगरी है जिसे हमेशा ड्यूटी पर सजग, व सर्तक रहना होता है लेकिन उसके ड्यूटी आर्वस की गणना के समय केवल ट्रेन (Lineclear से Line closed) तक का ही समय लिया जाता है । जबकि ड्यूटी के दौरान अन्य कार्य यात्री पूछताछ, रजिस्टरों का रखरखाव, सिग्नल गियरों का सिकलेक्शन व रिकनेक्शन देना व लेना, इन्जि. ब्लाक देना, स्टेशन को साफ स्वच्छ रखना, जो भी स्टेशन मास्टर की ड्यूटी है इसलिये कोटा मण्डल के कोटा – चित्तौड खण्ड और भोपाल मण्डल के गुना – मक्सी खण्ड के (कुम्भराज से शाहजहाँपुर) एवं गुना से ग्वालियर खण्ड में (म्याना से पनिहार) स्टेशनों पर चल रहे 12 घण्टे के ड्यूटी रोस्टर को 8 घण्टे ड्यूटी रोस्टर में परिवर्तित किया जाये ।

6. ग्रेड पे 4600 व एल-7 के स्टेशन अधीक्षकों व यातायात निरीक्षकों को हायर ट्रान्सपोर्टेशन की ट्रेनिंग दी जाये :- स्टेशन अधीक्षकों व यातायात निरीक्षकों को हायर ट्रान्सपोर्टेशन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे वह अपनी ड्यूटी, शेड्यूल निरीक्षण, फूट प्लेट, रेलवे इन्क्वायरी और अच्छी तरह कर सके एवं स्टेशन को वेल मेन्टेन रख सके ।
7. आरआरआई और एसएसआई केबिनों पर ए.सी. लगाने के क्रम में :- जोन के तीनों मण्डलों में स्थित आरआरआई व एसएसआई केबिनों (सवाई माधौपुर, भरतपुर, कोटा, जबलपुर, सतना, बीना, भोपाल) में एस सी लगाया जाये क्योंकि आरआरआई व एसएसआई केबिनों पर लगे बिजली उपकरणों से निकलने वाली किरणों से रुम में गर्मी व उमस बनी रहती है और सिग्नल विभाग के अनुसार आरआरआई व एसएसआई में ए.सी. लगाने से उसकी वर्किंग क्षमता और अधिक होगी और फेलियरो में भी कमी आयेगी ।
8. नोडल स्टेशन (बड़े स्टेशन) पर रेलवे आवास बनाने के क्रम में :-
संदर्भ : 2018/Transf. cell/MR Posh Bard/dt 09.07.2018
जोन स्तर पर प्रत्येक मण्डल में 50-100 कि.मी. की दूरी में एक नोडल स्टेशन चुनकर रोड़ साइड के सभी स्टॉफ के रेलवे आवास वहाँ बनाये जाये जिससे रोड़ साइड कर्मचारियों के बच्चों और परिवार को मूलभूत सुविधाएं (शिक्षा, बिजली व मेडीकल) मिल सके । इसलिए हमारा आग्रह है कि प.म.रे. के तीनों मण्डलों में बड़े-बड़े स्टेशनों को नोडल स्टेशन के रूप में नामित किया जाए ।
9. रोड़ साइड स्टेशनों पर रेस्ट रुम बनाने के क्रम में :-
स्टेशन मास्टर्स को **RG/LR** के रूप में कई स्टेशनों पर जाना पड़ता है ऐसे में उन्हें ड्यूटी ऑफ होने के बाद वही पर रुकना पड़ता है और रोड़ साइड स्टेशनों पर उन्हें रुकने के लिये के लिए रेस्ट रुम नहीं होने के कारण प्लेटफार्म की बैंचों पर सोना पड़ता है जिससे वह अंडर रेस्ट रहता और रेल संचालन की संरक्षा

प्रभावित होती है जहाँ पर लोको पायलेट व गार्डों के लिए AC रेस्ट रुम बनाये जा रहे हैं वही SM के लिए रेस्ट रुम तक नहीं बनाना बहुत बड़ा अन्याय, क्योंकि रोड साइड स्टेशनों पर रेस्ट रुम बनने से वह सभी विभाग के कर्मचारी जैसे – इंजीनियरिंग, S&T, TRD के भी उपयोग में काम आ सकता है । जैसा कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या (LR-1)/JCM-2-1) के अनुसार रोड साइड स्टेशनों पर रेस्ट रुम बनाने के निर्देश दिये गये हैं ।


10. सामान्य एवं सहायक नियम संशोधन 12 एवं 13 लेवल क्रॉसिंग गेट के सम्बन्ध में कार्यप्रणाली को लागू किया जाये । जिससे लेवल क्रॉसिंग पर हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके ।
11. यातायात निरीक्षक, सेफ्टी काउन्सलर, मूवमेन्ट इंस्पेक्टर (हैड क्वार्टर) एवं सभी सुपरवाइजर्स को यूनीफोर्म एलाउन्स दिया जाये । 5वें पे कमीशन में सभी को मर्ज करके एक ही कैडर स्टेशन मास्टर बना दिया गया है जबकि अन्य रेलवे में यूनीफोर्म एलाउन्स दिया जा रहा है ।
12. भोपाल डिवीजन 7वें पे कमीशन ओ.टी. एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाये । जबकि कोटा एवं जबलपुर मण्डल में इसका भुगतान एक वर्ष पूर्व ही हो चुका है ।
13. स्टेशन मास्टरों की रिक्तियों को रैंकर क्वोटा एवं ग्रेजुएशन क्वोटा के अन्तर्गत शीघ्र भरा जाये जिससे स्टेशन मास्टरों को रेस्ट एवं छुट्टी में हो रही परेशानी से निजात मिल सके । डब्ल्यू.सी.आर. जोन में लगभग 280 रिक्तियाँ चल रही हैं ।

पश्चिम मध्य रेलवे के सभी स्टेशन मास्टर्स आपसे उक्त समस्याओं के शीघ्र समाधान व निराकरण की आशा करते हैं ।

संलग्न :

1. 2 नाईट रोस्टर ट्राईल के लिये हैड क्वाटर का पत्र एवं डायरेक्टर ऑफ टीटी (पीओएल) का पत्र ।
2. रिप्रेजेन्टेड मेथड कार्य विशलेषण मुख्यालय पत्र ।


जोनल अध्यक्ष
शिवजी प्रसाद
मोबा. 7974295462


महासचिव
हेमराज मीणा
मोबा. 9413185616

प्रतिलिपी :

1. प्रमुख मुख्य परि. प्रबन्धक महोदय, प.म.रे. जबलपुर को सादर प्रेषित
2. मुख्य संरक्षा अधिकारी प.म.रे. जबलपुर को सादर प्रेषित
3. प्रमुख मुख्य कार्मिकम अधिकारी, प.म.रे. जबलपुर को सादर प्रेषित
4. मण्डल रेल प्रबन्धक कोटा को सादर प्रेषित
5. मण्डल रेल प्रबन्धक जबलपुर को सादर प्रेषित
6. मण्डल रेल प्रबन्धक भोपाल को सादर प्रेषित

जोनल अध्यक्ष
शिवजी प्रसाद
मोबा. 7974295462


महासचिव
हेमराज मीणा
मोबा. 9413185616

पश्चिम मध्य रेल

महाप्रबंधक कार्यालय
परिचालन विभाग
जबलपुर
दिनांक: 27.10.2021.

क्र.पमरे/जबल/टी-706/स्थायी वार्तातंत्र वेसेरेएयू

वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक
जबलपुर, भोपाल, कोटा

विषय:-मुख्यालय स्तर की वेसेरेएयू की स्थायी वार्तातंत्र में मंडलों से संबंधित मदों के संबंध में।
संदर्भ:-1.मुख्यालय स्तर की वेसेरेएयू की स्थायी वार्तातंत्र की मद क्र. 56/19 (03) (संलग्न)
2.ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एशोसियेशन जापान क्र.JBP/WCR/10/2021/01 dtd
26.10.21

उपरोक्त विषयान्तर्गत, मुख्यालय स्तर की वेसेरेएयू की स्थायी वार्तातंत्र (तृतीय) दि: 29 एवं 30
09.2021 संपन्न हुई बैठक में तीनों मंडलों में मद क्र.56/19 (03) के अनुसार स्टेशन मास्टर संवर्ग में संरक्षा
एवं स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुये 02 नाईट ड्यूटी रोस्टर की मांग की जा रही है। इस संदर्भ में ऑल
इंडिया स्टेशन मास्टर एशोसियेशन जबलपुर द्वारा DDU/Division/ECR में दि:26.09.21 से प्रयोग के तौर
पर लागू किया गया रोस्टर भेजा गया है एवं प्रयोग के तौर पर लागू करने हेतु अनुरोध किया गया है।

कृपया उपरोक्त रोस्टर का अवलोकन कर प्रयोग के तौर पर मंडलों में लागू करने के संदर्भ में
अपनी टिप्पणी से इस कार्यालय को शीघ्र अवगत करायें।

संलग्न:- (DDU/Division/ECR का रोस्टर)

(अजय कुमार शुक्ला)

उप मुख्य परिचालन प्रबंधक / FOIS
कृते, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

प्रति, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी जबलपुर, भोपाल, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Dept.: Operating

Division: DDU

Working Hours: (1) Statutory Hours - 51 Hrs.

(2) Rostered Hours- 48 Hrs.

The following roster is being implemented at the station on trial basis. After feedback from station it will be extended to more station of division.

Station: GAO, MTGE, KMGE, PHE, SEB, KSTA, MPO, ANH, NBG & JPL = Total 10 Station.

(A) Station where SS performing only day shift duty & 02 SMs In Rotational shift duty.

Design	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
SS	REST	11-21	11-21	7-11	11-21	7-11	11-21
SM-I	7-11 21-24	0-7	REST	11-21	7-11 21-24	0-7 21-24	0-7
SM-II	0-7	REST	7-11 21-24	0-7 21-24	0-7	11-21	7-11 11-24
RG SM	11-21 21-24	7-11	0-7	UTILIZE as LR			REST

(B) Station where SS is Supervisory or 03 SMs In Rotational shift duty.

EAST CABIN/PANEL SM

Design	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
SM-I	11-21	7-11 21-24	0-7	REST	11-21	7-11 21-24	0-7
SM-II	7-11 21-24	0-7	11-21	7-11 21-24	07	REST	11-21
SM-III	0-7	11-21	7-11 21-24	0-7	REST	11-21	7-11 21-24
RG SM	WILL GIVE REST AT SATION "B"		11-21	7-11	0-7	REST	

The Concern T/SS should ensure to implement this roster from 26.09.21 positively.

East Central Railway

Hours of Employment Regulation

Designation: Station Master

Roster: - "Continuous"

Averaging Period: Two Weekly

WEST CABIN/OUT DOOR SM

Design	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
SS-I	7-11 21-24	0-7	REST	11-21	7-11 21-24	0-7	11-21
SM-II	0-7	REST	11-21	7-11 21-24	0-7	11-21	7-11 21-24
SM-III	REST	11-21	7-11 21-24	0-7	11-21	7-11 21-24	0-7
RG SM	11-21	7-11 21-24	0-7	WILL GIVE REST AT SATION "A"		REST	

MMD/DC/ECR


No. 2011/E(LL)/HER/21

New Delhi, dated 1st March 2012


Chief Operations Managers
All Indian Railways
✓ NER / Gwalior

Sub: Performance of continuous Night duty – Uniform duty roster for SMs – comments -reg

Representations have been received for reviewing duty roster of Station Masters in "Continuous" classification.

A suggested roster is enclosed herewith. It is requested that feasibility of implementing at field level may be examined duly taking into account the local conditions, operating requirement of the Railway/Division and provisions of HOER. There shall not be any additional creation of posts involved on account of this roster.

The comments of your railway on the feasibility of implementation of the specimen roster and suggestions if any may be sent to this office by 20th March 2012.


(I. Jeyakumar)
Director TT (POL)
Railway Board

3/5/12
Encl: Suggested roster
4/5/12
5/5/12
called for

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

Rail Bhawan, New Delhi
Dated 06/02/2013

No.2010/TT-1/65/10

Chief Operations Managers
All Indian Railways

Sub: Roster for Station Masters – HOER instructions

There are many types of rosters of duty in vogue for Station Masters across the various divisions of Indian Railways. The schedules of time of sign-on/sign-off, hours of duty, days of continuous night duty etc. are different in the various rosters.

It is reiterated that the Zonal Railway/Division should critically examine the rosters within the purview of extant HOER instructions before implementation.



(R. Gopalakrishnan)
Director Traffic Transportation (POL)
Railway Board

For the safety point of view to avoid 7-Continuous Night Duty- following 2/3 Night Duty Roster suggested

Ref.-Rly. Bd.letter No.1.E(L)98,HER/20 Dated 30.11.98. 2.E(L)2008/HER/4, Dt 01.05.08 3.2011/E(L)/HER/21 Dt 01.03.2012, 2010/Tr:1/5/10/06 02.1.

4. Recorded statement of Rly. Bd. official in conciliation proceeding Dt. 4.02.2013 for implementation at Divisional level

I. Following Roster to be implemented at DEPOT/JUNCTION STATIONS

[Where S.S is Supervisory & 3 A.S.Ms in Rotational shift Duty]

STATION----A

Design	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
S.M-I	11-21	7-11	0-7	REST	11-21	7-11	0-7
		21-24				21-24	
S.M-II	7-11	0-7	11-21	7-11	0-7	REST	11-21
	21-24			21-24			
S.M-III	0-7	11-21	7-11	0-7	REST	11-21	7-11
			21-24				21-24
Rg.S.	Will Give Rest at Stn-B			11-21	7-11	0-7	REST
M					21-24		

STATION----B

Design	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
S.M-I	7-11	0-7	REST	11-21	7-11	0-7	11-21
	21-24				21-24		
S.M-II	0-7	REST	11-21	7-11	0-7	11-21	7-11
				21-24			21-24
S.M-III	REST	11-21	7-11	0-7	11-21	7-11	0-7
			21-24			21-24	
Rg.S.M	11-21	7-11	0-7	Will Give Rest at Stn-A			REST
		21-24					

II. Following Roster to be implemented at ROAD-SIDE STATION (Other than above Station)

where S.S. Performing only Day Shift duty & 2-ASMs in Rotational shift Duty

STATION-X

Design	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
S.S	REST	11-21	11-21	7-11	11-21	7-11	11-21
A.S.M	7-11	0-7	REST	11-21	7-11	0-7	0-7
	21-24			21-24	21-24	21-24	
A.S.M	0-7	REST	7-11	0-7	0-7	11-21	7-11
			21-24				21-24
Rg.	11-21	7-11	0-7	Will give Rest at Sun-Y			REST
A.S.M		21-24					

STATION-Y

Design	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
S.S	7-11	11-21	7-11	REST	11-21	11-21	11-21
A.S.M	11-21	7-11	0-7	0-7	REST	7-11	0-7
		21-24	21-24			21-24	
A.S.M	0-7	0-7	11-21	7-11	0-7	REST	7-11
	21-24			21-24			21-24
Rg.	Will Give Rest at Sun-X			11-21	7-11	0-7	REST
A.S.M					21-24		

परिवहन मध्य रेलवे

महाप्रबंधक कार्यालय
परिचालन विभाग
जबलपुर
दिनांक-30.12.19

क्र.पमरे/जबल/टी-935/कार्य विश्लेषण

वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक
जबलपुर, भोपाल, कोटा

विषय:-वास्तविक कार्य विश्लेषण के संबंध में।

संदर्भ:-1. कार्यालय पत्र क्र.पमरे/मुख्या./जबल./परि/का.वि/टी-935 दिनांक 02.06.17
2. वरि.का.अधि.(एच.आर.डी) पमरे पत्र क्र.पमरे/का.मुख्या./एच.ओ.ई.आर/12-08घटे
दि:27.05.16

उपरोक्त विषयांतर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा मुख्यालय स्तर पर यह निर्णय लिया गया था कि स्टेशन मास्टर्स, कांटेवालो एवं गेटमैनों के रोस्टर परिवर्तन हेतु कार्य विश्लेषण कराने के संबंध में मंडल के प्रत्येक खंड में सेम्पल के रूप में 02-02 स्टेशनों के ग्रुप बनाये जायेंगे एवं प्राप्त रिपोर्ट पूरे सेक्शन में लागू मानी जावेगी। किंतु मंडलों में कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया सतोषप्रद नहीं है जिसके फलस्वरूप दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन पी.एन.एम में यह मद बार बार उठती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाये एवं कार्य विश्लेषण हेतु चयनित स्टेशन, प्रस्तावित तिथियों की सूची एवं वस्तुस्थिति से मुख्यालय को शीघ्र अवगत कराये।

इसे प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


(दिवंक कुमार)

उप मुख्य परिचालन योजना प्रबंधक

प्रति, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी जबलपुर पमरे को सादर सूचनार्थ।

प्रति, मंडल रेल प्रबंधक जबलपुर, भोपाल, कोटा को सादर सूचनार्थ।

प्रति, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी जबलपुर, भोपाल, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।